राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्रमांक : एफ–8 / स.अ. / 617 दिनांक : 24/01/2019

निविदा सूचना संख्या 47 / 2018–19

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में निम्न वर्णनानुसार कार्य हेतु इच्छुक, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियमानुसार पंजीकृत अथवा अधिकृत सक्षम संवेदकों से सील बन्द लिफाफों में एतद् द्वारा निविदाऐं (दर संविदा) आमंत्रित की जाती हैं। निविदाऐं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर कार्यालय में दिनांक 20-2-19 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगीं तथा उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगीं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Leveling and Dressing Work in Synthetic Track & Road Side at SMS Stadium, Jaipur.	रूपये 500000 / –	रूपये 10,000 / –	1 माह	रूपये 500 / –

निविदा प्रपत्र, कराये जाने वाले कार्य की सूची मय पूर्ण विवरण स्पेसिफिकेशन आदि इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क कॉलम संख्या 6 में दर्शाये अनुसार जो कि लौटाया नहीं जायेगा, नकद अथवा **"सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर"** के नाम देय बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवा कर प्राप्त किए जा सकते हैं एवं उक्त निविदा राजस्थान क्रीडा परिषद स्थित मुख्यालय से ली जा सकती है। पूर्णतः भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ कॉलम संख्या 4 में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि नकद जमा कराना अथवा बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **"सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर"** के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा का सम्पूर्ण विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in & www.rssc.in पर देखी जा सकती है।

सचिव 24/01

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्रमांक : एफ–8/स.अ./617 दिनांक : 24.01.2019

निविदा सूचना संख्या 47/2018–19

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में निम्न वर्णनानुसार कार्य हेतु इच्छुक, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियमानुसार पंजीकृत अथवा अधिकृत सक्षम संवेदकों से सील बन्द लिफाफों में एतद् द्वारा निविदाऐं (दर संविदा) आमंत्रित की जाती हैं। निविदाऐं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर कार्यालय में दिनांक 20.02.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगीं तथा उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगीं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Leveling and Dressing Work in Synthetic Track & Road Side at SMS Stadium, Jaipur.	रूपये 500000/–	रूपये 10,000/–	1 माह	रूपये 500/–

निविदा प्रपत्र, कराये जाने वाले कार्य की सूची मय पूर्ण विवरण स्पेसिफिकेशन आदि इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क कॉलम संख्या 6 में दर्शाये अनुसार जो कि लौटाया नहीं जायेगा, नकद अथवा **''सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर''** के नाम देय बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवा कर प्राप्त किए जा सकते हैं एवं उक्त निविदा राजस्थान क्रीडा परिषद स्थित मुख्यालय से ली जा सकती है। पूर्णतः भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ कॉलम संख्या 4 में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि नकद जमा कराना अथवा बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **''सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर''** के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा का सम्पूर्ण विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in & www.rssc.in पर देखी जा सकती है।

सचिव

G Schedule

Name of work :- Leveling and Dressing Work in Synthetic Track & Road Side at SMS Stadium, Jaipur.

PWD BUILDING BSR-2018 City Circle, Jaipur.

S. No.	Quantity		Particulars	Rate		Amount
1	800.00	Cum	Earth, Sand, Lime, Morrum manure or sludge For 10 Km.	124.00	Cum	99200.00
2	400.00	Cum	Building Rubbish Stone metal (Grit and ballast etc.) For 20 Km.	201.00	Cum	80400.00
3	3500.00	Sqm	Earth work in surface excavation not exceeding 30cm. in depth but exceeding 1.5 meter in width as well as10 Sqm on plan including disposal of excavated earth up to 50 Mtr. and lift up to 1.5 Mtr. disposed soil to be levelled and neatly dressed: All kinds of soil	31.00	Sqm	108500.00
4	10000.00	Sqm	Surface dressing of the ground including removing vegetation and inequalities not exceeding 15cm deep and disposal of rubbish lead up to 50 Mtr. and lift up to 1.5 Mtr.: All kinds of soil	7.50	Sqm	75000.00
5	8000.00	Sqm	Clearing jungle including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, trees and saplings of girth upto 30 cm measured at a height of 1 m above ground level and removal of rubbish upto a distance of 50 m outside the periphery of the area cleared.	4.00	Sqm	32000.00
6	690.00	Cum	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50m and lift upto 1.5 m , disposed earth to be levelled and neatly dressed: All kinds of soil	152.00	Cum	104880.00
			Total		**Rs.**	**499980.00**

Secretary
Rajasthan State Sports Council
Jaipur

I/We agree to execute the above work as per rate filled in related item. (Rate in words % above/below)

Signature of Contractor

With full Address

Instructions and information to bidder regarding Fee, EMD etc.

District	Name of Work Package No.	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money	Time Allowed for completion	Class of contractor.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jaipur	Leveling and Dressing Work in Synthetic Track & Road Side at SMS Stadium, Jaipur.	**5.00 Lacs**	**Rs. 10,000/-**	**01 Month**	**"D" & above for Civil work**

1. The Tender Fee and earnest money as mentioned above should be deposited in the appropriate form as per the tender documents in favour of **Secretary, Rajasthan State Sports Council. Jaipur** payable at **Jaipur** in favour of payable at Jaipur and must be copy of Registration of Firm, Demand Draft of Tender Cost & Earnest Money and GST Certificate on the Rajasthan state sports council, Jaipur.

2. The tender can be viewed from web site http://sppp.rajasthan.gov.in & www.rssc.in

3. The authorized tender documents are available for inspection in the office of **Rajasthan State Sports Council, SMS Stadium, Jaipur** from all working days.

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or
(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No..............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C :Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy. Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan. The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker’s cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-
(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**
   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:
   i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
   ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
   iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**
   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed Five percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
   (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**
   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्,

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।

<u>बोली की शर्तें</u>

<u>विशेष टिप्पणी</u> :– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय बिड खोली जावेगी। अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. कोई भी फर्म/संवेदक यदि जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। इनके अभाव में बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। जी. एस. टी. देयता प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2019 तक का संलग्न करना आवश्यक है ।
3. दरें जी. एस. टी. तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों सहित देनी होगी।
4. बोली ऑफ–लाईन प्रस्तुत की जावेगी एवं निर्दिष्ट कॉलमों में प्रविष्टी की जावेगी।
5. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के आधार पर होगीं अर्थात परिवहन संबंधी कोई राशि परिषद द्वारा पृथक से देय नहीं होगी।
6. बोलियां उपापन अधिनियम/पारदर्शिता अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों (धारा–28 आदि) के अध्यधीन रहते हुये उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे पर नहीं देगा।
8. बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता होगी। हित विरोधी धारा 80 होगी।
9. विहित समय एवं तारीख के पश्चात् जो भी बोलियां प्राप्त होंगी उन्हें किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।
11. प्रदायकर्ता एक आईटम की एक ही दर एवं मेक प्रस्तुत करेगा।
12. **<u>बयाना राशि</u>** :–

    (क) बोली से पूर्व (2% बोली सूचना के अनुसार) नियमानुसार बयाना राशि ऑफ–लाईन प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक में से किसी रूप में जमा करायी जा सकती है।

    (ख) असफल बोलीदाता की बयाना राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा संभव शीघ्र लौटा दी जावेगी।

    (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण परिषद कार्यालय के पास जमा बयानाराशि/प्रतिभूति निक्षेप को नवीन निविदा के लिए बायाना राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

13. **बयाना राशि का समपहरण**:– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरत कर लिया जायेगाः–

(क) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

(ख) जब बोलीदाता विर्निष्ट समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(घ) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

14. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप** :–

(क) सफल बोलीदाता को आदेश दिनांक से 3 दिन की अवधि के भीतर नियमानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियन स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार–पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(ख) बोली के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।

(ग) बयाना/प्रतिभूति राशि पर परिषद द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(घ) प्रतिभूति राशि के रूप में नकद रसीद पत्र/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मान्य होंगे।

15. **प्रतिभूति राशि का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगाः–

(क) जब संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरत करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा इस सम्बन्ध में परिषद के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

16. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

17. परिषद के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

18. परीक्षण प्रभार परिषद द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
19. अनुमोदित कार्य के लिए यह समझा जाएगा कि उसने कार्य किये जाने वाले विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व परिषद से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
20. सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी तिथि के 7 दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
21. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित कार्य करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगें परन्तु शर्त यह है, कि ऐसे पुनआदेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त प्रदाय के लिए ही होगें।
22. **गारन्टी** :–बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि सामग्री सुपुर्दगी के दिनांक से 01 वर्ष अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में कार्य को अनुरूप नहीं पायी गयी तो राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा ऐसी सम्पूर्ण/आंशिक कार्य को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसी रद्द कार्य का संवेदक की जोखिम पर होगी तथा कार्य आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहां जाए, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया है।
23. **परिसमापित नुकसानी** :–
    (1) परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार होगी।
    (2) प्रदाय में विलम्ब अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
    (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
    (4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
    (5) यदि कार्य प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो कार्य की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
24. **वसूली** :–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। संवेदक कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए कार्यों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सेवा सन्तोषजनक ढंग से उनको कार्य करता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली

उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

32. भुगतान :–

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

33. यदि कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन कार्यों को बदलना साध्य नहीं समझा जाए तो राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।

34. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

35. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

36. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।

37. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम पता एवं मोहर)